

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

हरफूल सिंह यादव (आर०ए०एस०)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 17/2017

उनवान प्रकरण

- 1-किरनदेवी पत्नी स्व० रघुवीरप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भैसेना तहसील व जिला धौलपुर
- 2-राधाकुमारी पुत्री स्व० रघुवीरप्रसाद पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भैसेना हाल आबाद प्रेमनगर राजपुर चुंगी शमशाबाद रोड आगरा उ०प्र०
- 3-रेखा पुत्री स्व० रघुवीरप्रसाद पत्नी अरविन्द कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भैसेना हाल आबाद प्रेमनगर राजपुर चुंगी शमशाबाद रोड आगरा उ०प्र० जिला धौलपुर
- 4-रामवती पुत्री स्व० रघुवीरप्रसाद पत्नी स्व० विनोद कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भैसेना हाल आबाद नौनेरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर

.....अपीलान्टस

बनाम

- 1-वालो | पुत्रगण स्व० रघुवीरप्रसाद
- 2-तारा | जातिगण ब्राह्मण
- 3-संजीवशरण | निवासीगण ग्राम भैसेना तहसील व जिला धौलपुर
- 4-अन्जु पत्नी स्व० राजीवकुमार | जातिगण ब्राह्मण निवासी ग्राम भैसेना
- 5-शिवनारायण नावालिग पुत्र राजीव कुमार | तहसील धौलपुर हाल आबाद महेश बसरपरस्ती माँ अन्जु | कांकौलिया वाल गली जैन बगीची के पीछे रामनगर मुरैना म०प्र०
- 6-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

.....रेस्पोजेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम
विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 240 दि० 7.1.1983
द्वारा तहसीलदार धौलपुर



उपस्थिति अभिभाषक :-

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| अपीलान्टास की ओर से | :- श्री निशान्त भार्गव एडवोकेट |
| रेस्पोजेण्ट सं० 1लगा०3 की ओर से | :- श्री विजयसिंह एडवोकेट |
| रेस्पोजेण्ट सं० 4 व 5 की ओर से | :- श्री जयसिंह परमार एडवोकेट |
| रेस्पोजेण्ट संख्या 6 की ओर से | :- श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभि० |

निर्णय

दिनांक : 06.07.2018

उक्त अपील अपीलान्टांस द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि नामान्तरण संख्या 240 में विवादित आराजीयात कुल खसरा नम्बर-3 रकवा 02 वीधा

अति०

(2)

न्या०अति.जिला कलक्टर धौ०
वमुक: किरनदेवी वगैरा बनाम वालो वगैरा
अपील संख्या 17/2017

18 विस्वा में रधुवीरप्रसाद सम्पूर्ण भाग के गैरखातेदार कृषक थे। रधुवीरप्रसाद का देहान्त हो गया, रधुवीरप्रसाद ने अपने वारीसानों के रूप में अपनी वेवा किरनदेवी, पुत्रगण वालो, तारा, संजीवशरण व राजीवकुमार तथा पुत्रीयान राधाकुमारी, रेखा व रामवती को छोडा। इस प्रकार रधुवीरप्रसाद द्वारा छोडी गई आराजी में अपीलार्थीगण तथा रेस्पोडेन्ट 1लगा03 व राजीवकुमार बहिस्सा बराबर के खातेदार कृषक हुये। राजीवकुमार का देहान्त हो चुका है उसके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 हुये। रधुवीरप्रसाद के देहांतोपरांत रेस्पोडेन्ट 1लगा03 व राजीवकुमार ने हल्का पटवारी से साज कर विरासतन रूप से केवल अपने नाम का नामान्तकरण करा लिया जो कि कतई अवैध है। अपीलार्थीगण भी मृतक रधुवीरप्रसाद के विधिक उत्तराधिकारी है। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम भैसेना में ही रधुवीरप्रसाद की एक अन्य आराजी जो 2 खसरा नम्बर थे जिनका कुल रकवा 4 बीधा 2 विस्वा है में रधुवीर के समस्त वारिसानों अपीलार्थीगण, रेस्पोडेन्ट 1 लगा03 व राजीवकुमार के नाम का नामान्तकरण तस्दीक किया गया था। अपीलार्थीगण नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलान्टस मृतक रधुवीरप्रसाद के विधिक उत्तराधिकारी है तथा अपीलार्थीगण आदेश नामान्तकरण संख्या 240 से प्रभावित है जिस कारण वह व्यथित व्यक्ति है तथा अपील करने का कानूनी अधिकार रखते है। चूंकि प्रार्थीगण को नामान्तकरण स्वीकृत करने समय सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया जिस कारण उन्हें अपीलार्थीगण आदेश की कोई जानकारी नहीं हो सकी। प्रार्थीगण इसी भ्रम में थे कि चूंकि अन्य खसरा नम्बर पर उनके नाम भी दाखिल खारिज हो चुका था इस कारण इस विवादित आराजीयात पर भी उनके नाम का नामान्तकरण हो गया होगा। प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी करीव 20 दिवस पूर्व उस समय हुई जब रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थीगण को धमकी दी कि उनका नाम विवादित आराजीयात पर नहीं है इस कारण अ बवह विवादित आराजीयात में अपीलान्टस को काश्त नहीं करने देंगे। जानकारी की तिथि से अपील अंदर अवधि प्रस्तुत है। जो भी विलम्ब हुआ है वह जानकारी के अभाव में हुआ है जो क्षमा किये जाने योग्य है जिसके लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम प्रथक से पेश है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 240 ग्राम भैसेना तहसील धौलपुर को निरस्त किये जाने तथा रधुवीरप्रसाद के समस्त वारिसानो के नाम नामान्तकरण हेतु प्रति प्रेषित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्टस ने अपनी अपील के सर्मथन में नकल प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 240 दिनांक 7.1.1983 ग्राम भैसेना तहसील धौलपुर , फोटोप्रति नामान्तकरण संख्या 333 दिनांक 29.5.1986 ग्राम भैसेना तहसील धौलपुर पेश किये है।

अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1लगा03 की ओर से श्री विजयसिंह एडवोकेट, रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 की ओर से श्री जयसिंह परमार एडवोकेट ने उपस्थित होकर अपना बकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेण्ट संख्या-6 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

अति० जिला कलक्टर
धौ०

(3)

न्यायाधीश जिला कलक्टर धौलपुर
वमुक: किरनदेवी वगैरा बनाम वालो वगैरा
अपील संख्या 17/2017

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 240 में विवादित आराजीयात कुल खसरा नम्बर-3 रकवा 02 बीधा 18 विस्वा में रधुवीर सम्पूर्ण भाग के गैरखातेदार कृषक थे। रधुवीर का देहान्त हो गया, रधुवीर ने अपने वारीसानों के रूप में अपनी वेवा किरनदेवी, पुत्रगण वालो, तारा, संजीवशरण व राजीवकुमार तथा पुत्रीयान राधाकुमारी, रेखा व रामवती को छोडा। इस प्रकार रधुवीर द्वारा छोडी गई आराजी में अपीलान्टस तथा रेस्पोडेन्ट 1लगा03 व राजीवकुमार बहिस्सा बराबर के खातेदार कृषक हुये। राजीवकुमार का देहान्त हो चुका है उसके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 है। रधुवीर के देहांतोपरांत रेस्पोडेन्ट 1लगा03 व राजीवकुमार ने हल्का पटवारी से साज कर विरासतन रूप से केवल अपने नाम का नामान्तरण करा लिया जो अवैध है जबकि अपीलान्टस भी मृतक रधुवीर के विधिक उत्तराधिकारी है। उन्होने एक अन्य नामान्तरण संख्या 333 दिनांक 29.5.1986 ग्राम भैसेना का हवाला देते हुये जिसमें रधुवीर की एक अन्य आराजी जो 2 खसरा नम्बर थे जिनका कुल रकवा 4 बीधा 2 विस्वा है में रधुवीर के समस्त वारिसानों अपीलार्थीगण, रेस्पोडेन्ट 1 लगा03 व राजीवकुमार के नाम का नामान्तरण तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलान्टस मृतक रधुवीर के विधिक उत्तराधिकारी है इसी विनाय पर अपीलाधीन नामान्तरण आदेश काबिल खारिजी के है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलान्टस के कथनो को स्वीकार करते हुये अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। राजकीय अभिभाषक का कथन है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि हुई है तो उसकी पुनः जांच कराया जाना उचित होगा।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपीलान्टस का मुख्य रूप से यह कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 240 दिनांक 7.1.1983 जांके ग्राम भैसेना तहसील धौलपुर में विवादित आराजीयात कुल खसरा नम्बर-3 रकवा 02 बीधा 18 विस्वा में रधुवीर सम्पूर्ण भाग के गैरखातेदार कृषक थे। रधुवीर का देहान्त हो गया, रधुवीर ने अपने वारीसानों के रूप में अपनी वेवा किरनदेवी, पुत्रगण, वालो, तारा, संजीवशरण व राजीवकुमार तथा पुत्रीयान राधाकुमारी, रेखा व रागदती को छोडा। इस प्रकार रधुवीर द्वारा छोडी गई आराजी में अपीलान्टस तथा रेस्पोडेन्ट 1लगा03 व राजीवकुमार बहिस्सा बराबर के खातेदार कृषक हुये। राजीवकुमार का देहान्त हो चुका है उसके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 है। रधुवीर के देहांतोपरांत रेस्पोडेन्ट 1लगा03 व राजीवकुमार ने हल्का पटवारी से साज कर विरासतन रूप से केवल अपने नाम का नामान्तरण करा लिया जो अवैध है जबकि अपीलान्टस भी मृतक रधुवीर के विधिक उत्तराधिकारी है। उन्होने इस सम्बध में अपने कथनो के समर्थन में एक अन्य नामान्तरण संख्या 333 दिनांक 29.5.1986 ग्राम भैसेना का हवाला देते हुये जिसमें रधुवीर की एक अन्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर


(4)

न्या०अति.जिला कलक्टर धौ०
वमुक: किरनदेवी वगैरा बनाम वालो वगैरा
अपील संख्या 17/2017

आराजी जो 2 खसरा नम्बर थे जिनका कुल रकवा 4 बीघा 2 विस्वा है में रधुवीर के समस्त वारिसानों अपीलार्थीगण, रेस्पोजेन्ट 1 लगा०3 व राजीवकुमार के नाम का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जिसकी फोटोप्रति अपील के साथ पेश की है। इस प्रकार अपीलान्त के कथनो की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत अन्य नामान्तकरण संख्या 333 से होती है एवं रेस्पोजेन्टस के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलान्तस के कथनो को स्वीकार करते हुये अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्तस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलान्तस मृतक रधुवीर के विधिक उत्तराधिकारी हैं। इस प्रकार अपील अपीलान्तस स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्तस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 240 दिनांक 7.1.1983 ग्राम भैसेना तहसील धौलपुर, निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक रधुवीर के मौजूद सभी उत्तराधिकारियों की जाँच कर उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः नामान्तकरण पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हरफूल सिंह यादव)
अति० जिला कलक्टर
धौलपुर